CEM

CEM/1293
31/8/16

30-8-16

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(15)नविवि / 3 / 2013 जयपुर, दिनांक :- 26 AUG 2016

आदेश

विभाग द्वारा जारी मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण / नियमबद्वता / नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

(i) उक्त नियमों मे विभागीय आदेश दिनांक 21.01.2016 द्वारा जारी आदेश मे प्रावधान किया गया है कि उक्त उपविधियां ऐसे अनाधिकृत निर्माणों के नियमितिकरण हेतु लागू है, जिनका निर्माण इन उपविधियों के लागू होने से पूर्व किया जा चुका है। निर्माण पूर्ण होने के सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि **"उक्त उपविधियां उन प्रकरणों पर लागू होंगी, जिनके भवन मानचित्र उपविधियां जारी होने की दिनांक से पूर्व अनुमोदित हो चुके हों।"**

(ii) "मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण / नियमबद्वता / नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 में जहां जहां भी नियमबद्व / नियमबद्व योग्य शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका आशय नियमों के अन्तर्गत किया गया निर्माण तथा अनाधिकृत निर्माण, जिसको नियमित किया गया है, को सम्मिलित माना जावे।"

HC/G-110
29/8/16

भवदीय,

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक / उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जोधपुर / जयपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर / आबू / गंगानगर / भरतपुर / बाडमेर / बीकानेर जैसलमेर / कोटा / सवाईमाधोपुर / सीकर / पाली / भिवाड़ी / चित्तौडगढ़ / भीलवाडा / उदयपुर ।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय
26/8/16

कृपया पेज पलटिए (2).......

pc 1 D:/New Work/Office Order-2016

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कमांकः– मुसप्र/2016/ 659 दिनांकः– 7/10/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), प्रथम/द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम, द्वितीय ,तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... रा0आ0म0..................... ।
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, ..., रा0आ0म0 .... ।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबन्धक (मु0)